कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांकः 2454 /स्था.निर्वा./2022 इन्दौर, दिनांकः 03 /07/2022

आदेश

विषयः–दिनांक 06/07/2022 नगरीय निकाय मतदान दिवस पर सभी औद्योगिक/निजी/शासकीय संस्थानों में कार्यरत मतदाताओं को मतदान हेतु अवकाश (सवैतनिक) देने बाबद।

—0—

नगर निगम इन्दौर एवं जिले के आठ नगर परिषद क्षेत्रों में नगरीय निकाय निर्वाचन दिनांक 06.07.2022 को होना निर्धारित है। मतदाता को मत देने का अधिकार भारत के संविधान से प्रदत्त है। मतदाताओं को मतदान की सुविधा देने के लिये राज्य शासन द्वारा उक्त दिनांक को शासकीय अवकाश घोषित किया गया है।

1. इन्दौर जिले के नगरीय क्षेत्र के मतदाताओं को मतदान की सुविधा प्रदान किये जाने के लिये सभी औद्योगिक, व्यवसायिक एवं निजी संस्थानों को आदेशित किया जाता है कि वे उनके संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को मतदान की सुविधा प्रदान किये जाने के लिये अर्द्ध दिवस का सवैतनिक अवकाश देवें। उल्लेखनीय है कि नगरीय निकाय निर्वाचन में मतदान प्रातः 07 से 05 बजे के मध्य होगा। यदि किसी कर्मचारी का कार्यक्षेत्र उनके मतदान केन्द्र से इतनी दूरी पर है कि वे आधे दिवस में मतदान नहीं कर सकते है तो उन्हें पूरे दिवस का सवैतनिक अवकाश दिया जावे। यह आदेश इन्दौर जिले के सभी नगरीय क्षेत्र के मतदाताओं के लिये प्रभावशील होगा।
2. निजी स्कूल व कॉलेज भी उपरोक्तानुसार 18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को अवकाश प्रदान करेगें। औद्योगिक, व्यवसायिक, निजी(स्कूल, कॉलेज) सहित संस्थान यह भी परीक्षण कर लें कि जिन मतदाताओं को अवकाश प्रदान किया गया है उन्होंने वास्तविक रूप से मतदान किया है इसकी पुष्टि मतदाताओं की बाएं हाथ की उंगली के तर्जनी पर अमिट स्याही के निशान से की जा सकती है।
3. जिले के सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत उक्त आदेश का पालन सुनिश्चित कराएं। यदि किसी संस्थान द्वारा आदेश का उल्लघंन किया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही प्रस्तावित करें।
4. कलेक्टर जिला धार से भी अनुरोध है कि उक्त आदेश का पालन उनके क्षेत्राधिकार के ऐसे औद्योगिक एवं व्यवसायिक संस्थान जहां इन्दौर जिले के नगरीय क्षेत्र के मतदाता कार्यरत है, में कराने हेतु आवश्यक आदेश जारी करने का कष्ट करें।

(मनीष सिंह)
कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
जिला इन्दौर

E:DESKTOP DATA/Local Election: Letter Local Ele.2021

पृ.क्रमांकः 2455 /स्था.निर्वा./2022 इन्दौर, दिनांकः 03/07/2022

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
3. श्रमायुक्त, इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
4. पुलिस आयुक्त, नगरीय इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
5. कलेक्टर, जिला धार की ओर सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. पुलिस अधीक्षक(ग्रामीण), जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
7. अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी(समस्त)..जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
8. सहायक रिटर्निंग अधिकारी(समस्त), नगर पालिक निगम इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
9. रिटर्निंग अधिकारी, नगर परिषद मानपुर/महूगांव/राऊ/ बेटमा/ देपालपुर/ गौतमपुरा/हातोद/ सांवेर जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
10. अनुविभागीय दंडाधिकारी(समस्त)...जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
11. सहायक श्रमायुक्त इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ भेजकर निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की जानकारी सभी औद्योगिक, व्यवसायिक एवं निजी संस्थानों को दी जाना सुनिश्चित कराये।
12. तहसीलदार(समस्त)..जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
13. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, इन्दौर की ओर समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
जिला इन्दौर

E:DESKTOP DATA/Local Election: Letter Local Ele.2021